

निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप-21-घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

मध्यप्रदेश (राज्य) के 09-अटेर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए उपनिर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ, कि:-

श्री हेमन्त कटारे (नाम) पता वार्ड कं. 37 नगर पालिका भिण्ड कटारे निवास

अग्रवाल कॉलोनी अटेर रोड पो0 भिण्ड जिला भिण्ड(म.प्र.) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस


द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में श्री सत्यदेव कटारे की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- भिण्ड

तारीख:- 13.04.2017




(अनिल बनर्जीया)
रिटर्निंग ऑफिसर
09-अटेर निर्वाचन क्षेत्र
जिला - भिण्ड (म0प्र0)

Conduct of Election Rules,1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

(For use Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of M.P. (State) from 09- Ater Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read

with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961. I declare that **HEMANT KATARE**
(Name) **WARD NO.37 Nagar Palika Bhind Katare Niwas Agrawal Colony**
Ater Road Post.Bhind Distt.Bhind (M.P.) (Address)

[Sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Shri Satya Dev Katare having been declared vacant.

Place :- **Bhind**
Date :- **13.04.2017**




ANIL BANWARIYA
Returning Officer
Ater Assembly Constituency
Dist – Bhind (MP)